

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीय अध्यक्ष: सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र ।

माननीय मंत्री, श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी ।

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Central Cottage Industries Corporation of India Limited and the Ministry of Textiles for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 669/17/19]

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूँ ।

[Placed in Library, See No. LT 670/17/19]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN

THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK) :

I beg to lay on the Table:-

1. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Eastern Institute of Folk Medicine, Pasighat, for the year 2017-18, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Eastern Institute of Fold Medicine, Pasighat, for the year 2017-18.
2. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 671/17/19]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the MMTC Limited and the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 672/17/19]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

1. कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
 - (एक) एचएससीसी इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 - (दो) एचएससीसी इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 673/17/19]
- (3) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
 - (एक) नवीन औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 जो 19 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 227(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
 - (दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (सातवां संशोधन) नियम, 2019 जो 11 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 213(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
 - (तीन) चिकित्सीय उपकरण (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 22 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 318(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
 - (चार) औषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2019 जो 26 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 153(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

- (पांच) चिकित्सीय उपकरण (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 19 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 224(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (छह) औषधि और प्रसाधन सामग्री (छठा संशोधन) नियम, 2019 जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 205(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (सात) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पांचवां संशोधन) नियम, 2019 जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.186(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 674/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table:-

1. A copy of each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 1. Review by the Government of the working of the Bharat Pumps and Compressors Limited, Allahabad, for the year 2017-18.
 2. Annual Report of the Bharat Pumps and Compressors Limited, Allahabad, for the year 2017-18, alongwith Audited

Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

2. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 675/17/19]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) :
माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. (एक) मानसिक विकास केन्द्रम, विजयवाड़ा के वर्ष 2011-2012 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) मानसिक विकास केन्द्रम, विजयवाड़ा के वर्ष 2011-2012 और 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 676/17/19]

3. (एक) देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, सिकन्दराबाद के वर्ष 2011-2012 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, सिकन्दराबाद के वर्ष 2011-2012 और 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
4. उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 677/17/19]

5. (एक) स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, तेलंगाना के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, तेलंगाना के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 678/17/19]

7. (एक) श्री रमण महर्षि एकेडमी फॉर द ब्लाइंड, बैंगलोर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) श्री रमण महर्षि एकेडमी फॉर द ब्लाइंड, बैंगलोर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 679/17/19]

9 (एक) **उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसायटी (उमा मनोविकास केन्द्रम), काकीनाड़ा** के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) **उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसायटी (उमा मनोविकास केन्द्रम), काकीनाड़ा** के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 680/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI PARSHOTTAM RUPALA): I beg to lay on the Table a copy of the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Fifth Amendment) Order, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.2525(E) in Gazette of India dated 15th July, 2019 under Section 4(d) of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 together with a corrigendum thereto published in Notification No. S.O.2603(E) in Gazette of India dated 19th July, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 681/17/19]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंजीनियरिंग कैडर, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2019, जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 203(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जज अटॉर्नी जनरल, एडिशनल जज अटॉर्नी जनरल, डिप्टी जज अटॉर्नी जनरल और जज अटॉर्नी समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2019, जो 16 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 308(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 682/17/19]

2. विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के खंड 2 के उप-खंड (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 6391(अ) जो 31 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ 31.12.2018 से पुलिस अधीक्षक, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र की 'सिविल प्राधिकारी' के रूप में नियुक्ति के बारे में है ।

(दो) का.आ. 3676(अ) जो 27 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/भारत से बाहर जाने के लिए तमिलनाडु राज्य के कट्टुपल्ली समुद्रीपत्तन को एक प्राधिकृत आप्रवासन चैक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है ।

(तीन) का.आ. 3677(अ) जो 27 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ 13.07.2018 से पुलिस अधीक्षक, तिरूवल्लूर जिला, तमिलनाडु की 'सिविल प्राधिकारी' के रूप में नियुक्ति के बारे में है ।

(चार) का.आ. 4154(अ) जो 25 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/भारत से बाहर जाने के लिए मिजोरम राज्य की जोखावथार भूमि चैक पोस्ट को एक प्राधिकृत आप्रवासन चैक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है ।

(पांच) का.आ. 4155(अ) जो 25 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ 13.08.2018 से पुलिस अधीक्षक, चम्फई जिला, मिजोरम की 'सिविल प्राधिकारी' के रूप में नियुक्ति के बारे में है ।

(छह) का.आ. 5346(अ) जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य आप्रवासन अधिकारी, बोल कन्नूर, केरल को विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ 15.08.2018 से 'सिविल प्राधिकारी' के रूप में नियुक्ति के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 683/17/19]

पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के नियम 3 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 6390(अ) जो 31 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/भारत से बाहर जाने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र के पोर्ट ब्लेयर, विमानपत्तन को एक प्राधिकृत आप्रवासन चैक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 684/17/19]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी):

माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 685/17/19]

